LATEST

NEWS

Election

Date : 15th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https://election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

राजस्थान पत्रिका

बारां, बुधवार, 15.10.2025

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया व्यवस्थाओं का अवलोकन

प्रशिक्षण दिया, ऑनलाइन टेस्ट से आंकी दक्षता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। जिसमें करीब सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रशिक्षण को लेकर की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रशिक्षण में मतदान दल के अधिकारियों को मोक पोल, प्रपत्र संधारण सहित ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया।

बारां. व्यवस्थाओं का अवलोकन करते जिला निर्वाचन अधिकारी। पत्रिका

तोमर ने मतदान दल अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिसे पूरी निष्ठा से निभाते हुए शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पिछले चुनाव में भी सभी ने बेहतर कार्य करते हुए श्रेष्ठता का परिचय दिया है। इस चुनाव में भी इसी परम्परा को कायम रखते हुए चुनौती के साथ इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने व मतदान दिवस पर सजगता व पूरी सावधानी से मतदान कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रशिक्षण में उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। कुल 14 कक्षों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण के पश्चात सभी अधिकारियों का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी व सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एसीईओ हरीशचन्द्र मीणा भी मौजूद रहे। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा, धर्मेन्द्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों ने पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में 342 पीठासीन व 342 प्रथम मतदान अधिकारियों ने भाग लिया।

राजस्थान पत्रिका

मांगरोल, बुधवार, 15.10.2025

वाहन रैली निकाल कर किया मतदान के प्रति जागरूक

पत्रिका न्यूज विडो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मांगरोल. जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में 11 नवंबर को अंता चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। मांगरोल में भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ सौरभ भाम्बू ने सीसवाली तिराहे से रैली को रवाना किया।

रैली से पहले सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने मतदाताओं को निर्वाचन विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जानकारी दी। साथ ही केवाईसी ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशियों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई एवं सी विजिल ऐप द्वारा राजनीतिक कदाचार की गतिविधियों की शिकायत ऑनलाइन कर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने की जानकारी दी। रैली में बाइकर लोकतंत्र का कहना है वोट सभी को देना है जैसे जागरूकता के नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बमोरी तिराहा पर पहुंची, जहां मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाने के साथ रैली का विसर्जन किया गया, वहीं अंता में एसडीएम हवाई सिंह यादव ने वाहन रैली के माध्यम से शहर के मतदाताओं से 11 नवंबर को शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की। सीसवाली में सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प कराते हुए नगर पालिका से रैली को रवाना किया। इस दौरान विकास अधिकारी सुरेश गोदारा, राधेश्याम भील, ईओ नगरपालिका भावेश रजक, दीपक नागर, तहसीलदार मंजूर अली दीवान, एएओ महेश छंदक, बीसीएमओ कन्हैयालाल मीणा, पीएमओ शोभागमल मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बृजमोहन वर्मा, सुमित चौधरी, स्वीप टीम से रामचरण मीणा, सत्यनारायण चौरसिया व राजेन्द्र गोचर, ओम मेरोठा, सुरभि खंडेलवाल एवं गणमान्य् जन मौजूद रहे।

मांगरोल. वाहन रैली निकाल कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक जागरुक करते सवार। पत्रिका

राजस्थान पत्रिका
बारां, बुधवार, 15.10.2025

दलों और प्रत्याशियों को लेनी होगी पूर्व अनुमति

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अंता विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से अनिवार्य रूप से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

एमसीएमसी का गठन

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि चुनाव आयोग के पूर्व निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत जिला स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। बिना पूर्व-प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन किसी भी इंटरनेट आधारित मीडिया या वेबसाइट पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

पेड न्यूज़ पर निगरानी

एमसीएमसी द्वारा मीडिया में पेड न्यूज़ के संभावित मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चुनावी व्यय विवरण

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर प्रचार के दौरान किए गए व्यय का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा।

इस विवरण में इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को विज्ञापनों के लिए किए गए भुगतान, डिजिटल सामग्री निर्माण पर किया गया व्यय और सोशल मीडिया खातों के रख-रखाव और संचालन से जुड़ा व्यय शामिल किया जाना आवश्यक है। यह पहल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दैनिक भास्कर

बारां, बुधवार, 15.10.2025

दैनिक भास्कर बारां 15-10-2025

निरीक्षण • जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने किया उपचुनाव की व्यवस्थाओं का अवलोकन

पीठासीन व मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण प्रारंभ

भास्कर न्यूज़ | बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। जिसमें करीब सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रशिक्षण को लेकर की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।

कलेक्टर तोमर ने मतदान दल अधिकारियों से कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिसे पूरी निष्ठा से निभाते हुए शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पिछले चुनाव में भी सभी ने बेहतर कार्य करते हुए श्रेष्ठता का परिचय दिया है। इस चुनाव में भी इसी परम्परा को कायम रखते हुए चुनौती के साथ इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने व मतदान दिवस पर सजगता व पूरी सावधानी से मतदान कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रशिक्षण में उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। प्रशिक्षण में मतदान दल के अधिकारियों को मधोक पोल, प्रपत्र संधारण सहित ईवीएम व वीवी पैट की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया। कुल 14 कक्षों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण के बाद सभी अधिकारियों का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी व सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एसीईओ हरीशचंद्र मीणा भी मौजूद रहे। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा, धर्मेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों ने पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में 342 पीठासीन व 342 प्रथम मतदान अधिकारियों ने भाग लिया।

दैनिक भास्कर

बारां, बुधवार, 15.10.2025

दैनिक भास्कर

बारां 15-10-2025

मतदान दिवस पर मिलेगा सवैतनिक अवकाश

बारां| अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान दिवस के दिन 11 नवंबर को कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि श्रम आयुक्त की ओर से उपचुनाव में औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों, श्रमिकों एवं मजदूरों के लिए मतदान दिवस पर अवकाश रखने व उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। ताकि श्रमिक अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। विधानसभा क्षेत्र अंता में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों साथ ही ऐसे कार्मिक जो अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं। परंतु इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 11 नवंबर के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है। सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है, तो इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया जा सकता है।

दिशा न्यूज

बारां, बुधवार, 15.10.2025

सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनों के पूर्व–प्रमाणन की अनिवार्यता

दिशा न्यूज। बारां.

अंता विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसीः से अनिवार्य रूप से पूर्व–प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

एमसीएमसी का गठन–जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि चुनाव आयोग के पूर्व निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत जिला स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। बिना पूर्व–प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन किसी भी इंटरनेट आधारित मीडिया या वेबसाइट पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

पेड न्यूज़ पर निगरानी–एमसीएमसी द्वारा मीडिया में पेड न्यूज़ के संभावित मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी–चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चुनावी व्यय विवरण–जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर प्रचार के दौरान किए गए व्यय का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा।

इस विवरण में इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को विज्ञापनों के लिए किए गए भुगतान, डिजिटल सामग्री निर्माण पर किया गया व्यय और सोशल मीडिया खातों के रख–रखाव और संचालन से जुड़ा व्यय शामिल किया जाना आवश्यक है। यह पहल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिशा न्यूज
बारां, बुधवार, 15.10.2025

वाहन रैली निकाल कर किया मतदान के प्रति जागरूक

दिशा न्यूज। मांगरोल.

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में 11 नवंबर को अंता विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र में उपखंड मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। मांगरोल में भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीओ सौरभ भाम्बू ने सीसवाली तिराहे से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रैली से पहले सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने मतदाताओं को निर्वाचन विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जानकारी दी। साथ ही केवाईसी ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र से चुनाव में प्रत्याशियों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई एवं सी विजिल ऐप द्वारा राजनीतिक कदाचार की गतिविधियों की शिकायत ऑनलाइन कर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने की जानकारी दी। रैली में बाइकर लोकतंत्र का कहना है वोट सभी को देना है जैसे जागरूकता के नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गो से होती हुई बमोरी तिराहा पर पहुंची, जहां मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाने के साथ रैली का विसर्जन किया गया।

वहीं अंता में एसडीएम हवाई सिंह यादव ने वाहन रैली के माध्यम से शहर के मतदाताओं से 11 नवंबर को शत् प्रतिशत मतदान करने की अपील की। सीसवाली में सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने निर्भीक होकर मतदान करने का संकल्प कराते हुए नगर पालिका से रैली को रवाना किया।

इस दौरान विकास अधिकारी सुरेश गोदारा, राधेश्याम भील, ईओ नगरपालिका भावेश रजक, दीपक नागर, तहसीलदार मंजूर अली दीवान, एएओ महेश छंदक, बीसीएमओ कन्हैयालाल मीणा, पीएमओ शोभागमल मीणा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बृजमोहन वर्मा, सुमित चौधरी, स्वीप टीम से रामचरण मीणा, सत्यनारायण चौरसिया व राजेन्द्र गोचर, ओम मेरोठा, सुरभि खांडेलवाल एवं गणमान्य जन मौजूद रहे।

हाड़ौती संचार

बारां, बुधवार, 15.10.2025

पीठासीन व मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण प्रारंभ

जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने किया व्यवस्थाओं का अवलोकन

बारां, 14 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। जिसमें करीब सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रशिक्षण को लेकर की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तोमर ने मतदान दल अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिसे पूरी निष्ठा से निभाते हुए शांतिपूर्ण चुनाव में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पिछले चुनाव में भी सभी ने बेहतर कार्य करते हुए श्रेष्ठता का परिचय दिया है। इस चुनाव में भी इसी परम्परा को कायम रखते हुए चुनौती के साथ इस कार्य को पूर्ण करें। उन्होंने मतदान दलों में नियुक्त अधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने व मतदान दिवस पर सजगता व पूरी सावधानी से मतदान कार्य पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रशिक्षण में उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। प्रशिक्षण में मतदान दल के अधिकारियों को मोक पोल, प्रपत्र संधारण सहित ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली के बारे में समझाया गया। कुल 14 कक्षों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण के पश्चात सभी अधिकारियों का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी व सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एसीईओ हरीशचन्द्र मीणा भी मौजूद रहे। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा, धर्मेन्द्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों ने पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में 342 पीठासीन व 342 प्रथम मतदान अधिकारियों ने भाग लिया।

हाड़ौती संचार
बारां, बुधवार, 15.10.2025

मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के निर्देश

बारां, 14 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान दिवस के दिन 11 नवंबर को कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि श्रम आयुक्त की ओर से उपचुनाव में औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों, श्रमिकों एवं मजदूरों के लिए मतदान दिवस पर अवकाश रखने व उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ताकि श्रमिक अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्ता में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों साथ ही ऐसे कार्मिक जो अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता हैं, परन्तु इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 11 नवंबर के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्रवाही के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

हाड़ौती संचार
बारां, बुधवार, 15.10.2025

सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन की अनिवार्यता

बारां, 14 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व संबंधित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से अनिवार्य रूप से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

एमसीएमसी का गठन-जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि चुनाव आयोग के पूर्व निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत जिला स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। बिना पूर्व-प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन किसी भी इंटरनेट आधारित मीडिया या वेबसाइट पर जारी नहीं किया जा सकेगा।

पेड न्यूज़ पर निगरानी-एमसीएमसी द्वारा मीडिया में पेड न्यूज़ के संभावित मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी-चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चुनावी व्यय विवरण-जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के भीतर सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर प्रचार के दौरान किए गए व्यय का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा। इस विवरण में इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को विज्ञापनों के लिए किए गए भुगतान, डिजिटल सामग्री निर्माण पर किया गया व्यय और सोशल मीडिया खातों के रख-रखाव और संचालन से जुड़ा व्यय शामिल किया जाना आवश्यक है। यह पहल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब केसरी
WED,15 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 4

आयोग की पैनी नजर : 75 दिन में खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा

सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर खर्च की भी देनी होगी जानकारी

जयपुर, 14 अक्टूबर (विसं) : भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के अलावा आठ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर खर्चे को लेकर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्ति के 75 दिनों के खर्च का ब्यौरा देना होगा। सोशल मीडिया सहित प्रचार के दौरान किए व्यय का विवरण निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशियों को इंटरनेट कंपनियों और वेबसाइटों को विज्ञापनों के लिए किए भुगतान, डिजिटल सामग्री निर्माण पर किया व्यय, सोशल मीडिया खातों के रख-रखाव और संचालन से जुड़ा व्यय देना अनिवार्य है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को सोशल मीडिया सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व, संबंधित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से अनिवार्य रूप से पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा।